

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 4(52)नविवि/11/2021

जयपुर, दिनांक:

16 JAN 2024

—आदेश—

राजस्थान अभियान्त्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(1)नविआ/11/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम 24-ए के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.12.2023 की अभिशंषानुसार निम्नांकित सहायक अभियन्ता (विद्युत) को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल-16 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री संदीप माथुर (डिप्लोमाधारी)	अनारक्षित	2023-24	01.04.2023
2.	श्री विजय कुमार (डिग्रीधारी)	अजा	2023-24	01.04.2023

उपरोक्त अभियन्ताओं की पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-sd-

(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
5. विशिष्ट शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. संबंधित अधिकारीगणों को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय